उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005)

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2.परिभाषायें

3.भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण

4.अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय

5. भवन या परिसर को मुहरबंद करने की शक्ति

6.कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध

7. कतिपय भवनों की अनुज्ञा

8.व्यतिक्रम मुख्य अग्निशमन अधिकारी की शक्तियां

9.अपील

10.न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

11.शास्ति

12. कम्पनी द्वारा अपराध

13.अभियोजन की संस्वीकृति

14.अधिकारिता

15.सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

16.अधिकारी लोक सेवक होंगे

17.नियम बनाने की शक्ति

18.निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005)

THE UTTAR PRADESH FIRE PREVENTION AND FIRE SAFETY ACT, 2005

(U.P. Act No. 5 of 2005)

उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2005]

यू0 पी0 अधिनियम सं0 10, 2011

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 17 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की तथा उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 18 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में कतिपय भवनों और परिसरों मे अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपयों के लिये अधिक प्रभावशाली उपबन्ध बनाने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह 24 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में, ––

(क) "भवन" का तात्पर्य किसी गृह, उपगृह, स्तबल, शौचालय, मूत्रालय, सायबान, झोपड़ी दीवार (चहारदीवारी से भिन्न) या कोई अन्य संरचना, जो चिनाई ईट, लकड़ी, मिट्टी धातु या अन्य पदार्थ के हों ;

(ख) "मुख्य अग्निशमन अधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी से है ;

(ग) "अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों" का तात्पर्य ऐसे उपायों से है जो अग्नि के निवारण, नियन्त्रण और शमन के लिये और आग लगने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अधीन आवश्यक हों ;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन यथापरिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(च) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी से है ;

(छ) "अधिभोगी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं : ––

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वामी को ऐसी भूमि या भवन का, जिसके सम्बन्ध में किराया दिया जाता है या देय हो, किराया या किराये का कोई भाग तत्समय दे रहा हो या देने के लिये दायी हो ;

(दो) ऐसा स्वामी जो अपनी भूमि या भवन का अधिभोगी है या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा हो ;

(तीन) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त अभिधारी ;

---

1. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(चार) कोई लाइसेंसधारी जो किसी भूमि या भवन का अधिभोगी हो ;

(पांच) ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के प्रयोग या अधिभोग से हुये नुकसान के लिये स्वामी को भुगतान करने के लिये दायी हो ;

[1][(छह) भवन उपविधियों या सम प्रकृति के किसी अन्य विधि के अधीन यथा गठित भवन स्वामियों या अधिभोगियों का कोई संघ, जिसे भवन निर्माता/संप्रवर्तक ने (चाहे वह कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संघ या सहकारी समिति हो) जो किसी भवन के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो, ऐसे अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों को हस्तगत कराया हो, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वारन्टीप्राप्त हो।]

(ज) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो तत्समय चाहे अपने वास्ते या अपने एवं अन्य लोगों के मद्दे या किसी अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर या किसी अन्य व्यक्ति के रूप में किसी भूमि या भवन का किराया प्राप्त कर रहा हो या प्राप्त करने का हकदार हो या यदि भूमि या भवन या उसका कोई भाग किसी अधिभारी को किराये पर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति भी है जिसे इस प्रकार किराया प्राप्त करना चाहियें या प्राप्त करने का हकदार होना चाहिये और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं : ––

(एक) निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में निष्क्रान्त सम्पत्ति का अभिरक्षक, जिसमें निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 31 सन् 1950) के अधीन उक्त सम्पत्ति निहित हो ;

(दो) राज्य विधि के अधीन कोई प्राधिकारी या संस्था और किसी सरकारी विभाग का विभागाध्यक्ष, उनके अपने–अपने नियन्त्रणाधीन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ;

[2][(तीन) कोई भवन निर्माता या संप्रवर्तक (चाहे वह कोई व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, संघ या सहकारी समिति हो), जो किसी ऐसे भवन या परिसर के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अग्निशमन सेवा से अनुज्ञा ऐसे समय तक प्राप्त किया जाना अनिवार्य हो जिस समय तक यथा वारन्टीप्राप्त समस्त अग्नि शामक एवं अग्नि निवारण उपायों को लागू किये जाने के पश्चात् भवन उपविधियों या सम प्रकृति के किसी अन्य विधि के अधीन यथा गठित भवन स्वामियों या अधिभोगियों के संघ को भवन हस्तगत करा दिया जाय।]

(झ) "परिसर" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि या भवन या उससे संलग्न किसी भवन के भाग से है जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थो और खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण के लिए किया जाता हो ;

स्पष्टीकरण :–– इस खण्ड में, "विस्फोटक", "विस्फोटक पदार्थो" और "खतरनाक रूप से ज्वलनशील पदार्थो" के वहीं अर्थ होंगे जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1884), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1908) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 20 सन् 1952) में उनके लिये समनुदेशित है ।

भवनों, परिसरों आदि का निरीक्षण

3–(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे भवन जिसकी ऊँचाई ऐसी हो जैसी विहित की जाये के अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी न हो, तो उसके स्वामी को तीन घण्टे की सूचना देने के पश्चात् या परिसर में सूर्योदय या सूर्यास्त के मध्य किसी भी समय

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 2011 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 2011 की धारा 2(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

प्रवेश कर सकेगा और उक्त भवन या परिसर का निरीक्षण, जहां ऐसा निरीक्षण अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता या उनका उल्लंघन सुनिश्चित करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगा :

परन्तु नामनिर्दिष्ट अधिकारी यदि उसे जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो तो वह किसी भवन या परिसर में किसी भी समय प्रवेश करके निरीक्षण कर सकेगा।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भवन या परिसर के, यथास्थिति, स्वामी या अधिभोगी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण को कार्यान्वित करने के लिये समस्त सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) जब मानव आवास के रूप में प्रयुक्त किसी भवन या परिसर में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश किया जाय तो अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा और प्रथा के अनुसार जनता के सामने प्रकट न होने वाली महिला के वास्तविक अधिभोग के किसी कमरे में उपधारा (1) के अधीन प्रवेश करने के पूर्व उसे इस बात की सूचना दी जायेगी कि वह वहां से हट जाने के लिये स्वतंत्र है और वहां से हटवाने के लिये उसे प्रत्येक समुचित सुविधा प्रदान की जायेगी।

अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय

4–(1) धारा 3 के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों और भवन की ऊँचाई के सम्बन्ध में उनमें प्रदत्त ऐसे उपायों की अपर्याप्तता या ऐसे भवन या परिसर में किये जा रहे क्रियाकलापों की प्रकृति के सम्बन्ध में भवन सम्बन्धी उपविधियों से विचलन या उनके उल्लंघन पर अपने विचार अभिलिखित करेगा और ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को यह निदेश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि वह नोटिस में यथाविहित उपाय करे।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 3 के अधीन किये गये अपने निरीक्षण रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भी देगा।

भवन या परिसर को मुहरबंद करने की शक्ति

5–(1) जहां धारा 4 के उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि किसी भवन या परिसर की दशा, जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरनाक है वहां वह धारा 8 के अधीन की गयी किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अधिभोग में ऐसा भवन या परिसर हो से ऐसे भवन या परिसर से तुरन्त हट जाने की अपेक्षा करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये किसी आदेश का अनुपालन नही किया जाता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये क्षेत्र में ऐसी अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकता है और ऐसा अधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

(3) यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन व्यक्तियों को हटाने जाने पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट भवन या परिसर को सीलबन्द कर देगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये किसी आदेश के अधीन के सिवाय नहीं हटायेगा।

कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध

6–(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी मुख्य अग्निशमन अधिकारी किसी भवन में जिसके अन्तर्गत निर्माणाधीन भवन भी है, प्रवेश कर सकेगा या उसका निरीक्षण कर सकेगा, यदि ऐसा निरीक्षण ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो ।

(2) मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा धारा 3 में नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध अधिकथित है।

(3) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन भवन या परिसर का निरीक्षण करने के पश्चात् और निम्नलिखित पर विचार करने के उपरान्त ऐसे भवन या परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस देगा जिसमें ऐसे भवन या परिसर में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपायों की अपर्याप्तता कथित करेगा और ऐसे स्वामी या अधिभोगी को उक्त अपर्याप्तता को ऐसी अवधि जैसी वह न्यायोचित या युक्तियुक्त समझे, के भीतर ठीक करने के लिये निदेशित करेगा : ––

(क) भवन उपविधियों के उपबंध, जिसके अनुसार उक्त भवन या परिसर की योजना अनुमोदित की गयी थी ;

(ख) उक्त भवन या परिसर की योजना की मंजूरी के समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्ते, यदि कोई हों ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे भवन या परिसर के लिए विनिर्दिष्ट अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानक ।

कतिपय भवनों की अनुज्ञा

7–पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हों या परिनिर्माणाधीन हों जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या अधिक वय के व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरूद्धता, जिसमें निवासियों की स्वतन्त्रता निर्बन्धित हो, दुकान बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिये सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्था, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक, धार्मिक, देश प्रेम सम्बन्धी, नागरिक यात्राओं के लिये इकट्ठा या एकत्रित होना हो या तत्समान प्रयोजनों के लिये किया जाना सम्भावित हो के लिये योजना प्रस्तुत की जायेगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत सत्ता से अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यवहारिक रूप में युक्ति–युक्तपूर्वक प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है ।

व्यतिक्रम मुख्य अग्निशमन अधिकारी की शक्तियां

8–(1) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, धारा 4 या धारा 6 के अधीन जारी किसी नोटिस का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में ऐसे कदम उठायेगा जो ऐसी नोटिस के अनुपालन के लिये आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन उठाये गये किन्हीं कदमों के सम्बन्ध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा उपगत समस्त व्यय मांग किये जाने पर स्वामी या अधिभोगी द्वारा संदेय होंगे, और यदि ऐसी मांग के पश्चात् दस दिन के भीतर सदत्त न किये जायें भू–राजस्व के बकाये के रूप में उनकी वसूली की जा सकती है ।

अपील

9–(1) नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी या मुख्य अग्निशमन अधिकारी के किसी नोटिस

या उसके आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार को उस नोटिस या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के दिनांक से तीस दिन के अन्दर अपील कर सकेगा :

परन्तु सरकार उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकती है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत न किये जाने का पर्याप्त कारण था ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सरकार के कोई अपील ऐसे प्रपत्र में और उस नोटिस या आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जानी है और ऐसी फीस के साथ की जायेगी जैसा विहित किया जाय ।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

10–इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय किसी नोटिस या आदेश के सम्बन्ध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और इस अधिनियम के अधीन ऐसी नोटिस या आदेश पर अपील प्रस्तुत किये जाने के अलावा अन्यथा आपत्ति नहीं की जायेगी ।

शास्ति

11–जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, धारा 8 के अधीन, उसके विरुद्ध किये गये किसी अन्य कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से जो दस वर्ष हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक हो सकेगी या दोनों से और जहां अपराध निरन्तर जारी हों, वहां प्रथम बार के पश्चात् ऐसे निरन्तर अपराध के दौरान जुर्माने जो रुपया पांच हजार प्रति दिन तक हो सकेगा, से दण्ड का भागी होगा ।

कम्पनी द्वारा अपराध

12–(1) जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी कम्पनी द्वारा अपराध किया जाता है, तो अपराध किए जाने के समय में प्रत्येक व्यक्ति, जो कम्पनी के प्रभार में था और जो कम्पनी के व्यवसाय के संचालन के लिये उत्तरदायी था, के साथ ही साथ कम्पनी को अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा और तद्नुंसार दण्डित किया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से कोई व्यक्ति सजा का पात्र नहीं होगा यदि वह इस बात को सिद्ध कर देता है कि अपराध जानकारी के बिना किया गया था अथवा ऐसे अपराध को कारित होने से रोकने के लिये उसने सम्यक् तत्परता से प्रयास किया था ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये की जहां पर इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया हो और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक सचिव या कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुमति से किया गया है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी/कर्मचारी, उस अपराध का दोषी माना जायेगा और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और तद्नुसार दण्डित किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिये, –

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसमें कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ सम्मिलित है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

अभियोजन की संस्वीकृति

13–नाम–निर्दिष्ट प्राधिकारी से शिकायत पर या उससे सूचना की प्राप्ति के सिवाय कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण की कार्यवाही नहीं करेगा।

अधिकारिता

14–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

15–इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियम के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

अधिकारी लोक सेवक होंगे

16–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक अधिकारी को, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था होगी :––

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भवन की ऊँचाई ;

(ख) अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिये न्यूनतम मानक ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रपत्र, जिसमें कोई अपील की जायेगी और ऐसे अपील की फीस जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी ;

(घ) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या जिसको नियमों द्वारा उपबन्धित किया जा सके ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2005

18–(1) उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1944) का अधिनियम राज्य में आग बुझाने हेतु प्रान्तीय अग्निशमन सेवा के गठन और अनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया था किन्तु राज्य में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए कोई अधिनियम नहीं था । राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुंरक्षा के प्रभावी उपाय प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और नियमों आदि के अधीन अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में उपबन्ध पर्याप्त नहीं थे। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के लिए प्रभावशाली उपबन्ध बनाने के लिए विधि बनाई जाय।

चूँकि राज्य विधान-मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः दिनांक 24 जनवरी, 2005 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अध्यादेश, 2005 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2005) प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है ।